


कार्यालय:- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर
महानगर

क्रमांक : लेखा / 2020-21 / ...२३२

दिनांक २५-११-२०२०

-: नीलामी सूचना :-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर के अभिलेखागार (रेकॉर्ड) में रद्दी (विडिंगसुदा पत्रावलियों के पेपर के टुकड़े) जो अनुमानत 60 क्वंटल है, जिसकी खुली बोली द्वारा नीलामी न्यायालय परिसर में दिनांक 07.12.2020 को दोपहर 02.00 पीएम पर की जायेगी। अतः इच्छुक खरीददार रद्दी कागजात एवं नीलामी की शर्तों का अवलोकन कार्यालय समय में तथा इस विभाग की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/jodhpurmetro> पर किया जा सकता है।

 25.11.20
अध्यक्ष

विडिंग सुदा कागज (रद्दी) नीलामी कमेटी
जिला एवं सेशन न्यायालय
जोधपुर महानगर

कार्यालय:- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर
महानगर

क्रमांक : लेखा/2020-21/.....²⁷²


दिनांक 25-11-2020

:- नीलामी सूचना :-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर के अभिलेखागार (रेकॉर्ड) में रद्दी (विडिंगसुदा पत्रावलियों के पेपर के टुकड़े) जो अनुमानत 60 क्विंटल है, जिसकी खुली बोली द्वारा नीलामी न्यायालय परिसर में दिनांक 07.12.2020 को दोपहर 02.00 पीएम पर की जायेगी। अतः इच्छुक खरीददार किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में रद्दी कागजात एवं अन्य शर्तों का अवलोकन कर सकते हैं।

इच्छुक खरीददार नीलामी तिथि को निर्धारित अवधि में स्वयं उपस्थित होकर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर बोली लगा सकता है :-

1. नीलामी बोली लगाने से पूर्व प्रत्येक बोलीदाता को रूपये 2000/- (अक्षरे दो हजार रूपये) की धरोहर राशि जमा करानी होगी साथ ही पहचान पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
2. नीलामी अधिकारी को बिना बताये नीलामी तिथि रथगित करने का या अन्तिम बोली स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।
3. नीलामी की दर प्रति किलोग्राम की दर से ली जायेगी।
4. नीलामी की अधिकतम बोली देने वाले के नाम, नीलामी समाप्त करना या नहीं करना अधोहस्ताक्षरकर्ता के अधीन हैं।
5. नीलामी में सफल खरीददार को विडिंगसुदा कागजात तोलने के बाद कागज की राशि उसी समय जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर महानगर के कार्यालय में जमा करवानी होगी। रकम जमा होने के पश्चात् नीलामीसुदा कागज एवं रसीद खरीददार को सुपुर्द कर दिये जायेंगे।
6. नीलामी के सफल खरीददार को विडिंगसुदा कागजात धर्मकांटे पर लाने ले जाने एवं तौलने की सारी प्रक्रिया का खर्च उसके स्वयं का होगा।
7. अधिकतम बोली लगाने वाले को उसकी बोली स्वीकार हो जाने के पश्चात् तत्काल प्रतिभूति राशि के रूप में 25,000/- रूपये पूर्व में जमा धरोहर राशि सहित जमा करवानी होगी साथ ही एक अप्टरेकिंग देनी होगी कि वह स्वयं अपने खर्च पर समस्त रद्दी सात दिन के अन्दर इस कार्यालय से उठा लेगा अन्यथा उसके द्वारा जमा की गई राशि रूपये 25000/- की राशि जब्त मानी जायेगी और रद्दी की पुनः नीलामी की जायेगी।
8. जिन व्यक्तियों की बोली स्वीकार नहीं होगी उनके द्वारा जमा राशि 2000/- रूपये की धरोहर राशि नीलामी समाप्ति के तुरन्त पश्चात् लौटा दी जायेगी।
9. नीलामी बोली लगाने के पश्चात् नीलामी में उचित मूल्य नहीं मिलने पर नीलामी निरस्त करने का पूर्ण अधिकारी नीलामी अधिकारी को होगा।
10. किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
11. स्वीकृत दर/राशि पर बोलीदाता को जीएसटी व अन्य देय कर पृथक से जमा करवाने होंगे व इसकी रसीद प्रस्तुत करनी होगी जिसकी जिम्मेदारी स्वयं बोलीदाता की होगी।
12. नीलामी संबंधित पूर्ण अधिकार नीलामी समिति में निहित है। समिति का निर्णय सर्वमान्य व अन्तिम होगा।


अध्यक्ष 25.11.20

विडिंग सुदा कागज (रद्दी) नीलामी कमेटी
जिला एवं सेशन न्यायालय
जोधपुर महानगर

क्रमांक: २७२-२७९

दिनांक: २५-११-२०२०

- प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर जिला / महानगर जोधपुर / कोषालय (ग्रामीण), जोधपुर / कोषालय (शहर), जोधपुर / सूचना एवं जन सम्पर्क, जोधपुर।
 2. स्टोर कीपर, न्यायालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि स्थानीय कबाड़ियों को सूचित करावे।
 3. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर महानगर को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अध्यक्ष

२५.११.२०

विडिंग सुदा कागज (रददी) नीलामी कमेटी
जिला एवं सेशन न्यायालय
जोधपुर महानगर